



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsfsg@gmail.com

सी.एस.एफ/उद्यान/4(बाग निलामी)/एन.एस.सी –सर./2023–24

दिनांक: –29.03.2023

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला—श्रीगंगानगर (राजस्थान) के खंड-05 में स्थित बाग से विभिन्न प्रकार के फलों की नीलामी दिनांक 20.04.2023 तक ई-निविदा के माध्यम से की जाएगी, निविदा भरने की तारीख व समय दोपहर 1.00 बजे दिनांक 20.04.2023 तक निर्धारित है तथा निविदा उसी दिन शाम 3.00 बजे फार्म समिति के समक्ष खोला जायेगा। बाग लेने के इच्छुक ठेकेदार दिनांक 20.04.2023 दोपहर 1.00 तक ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 590 का निविदा फार्म शुल्क अदा करने के साथ रुपये 75,000 की धरोहर राशि पोर्टल के माध्यम से अथवा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़ के खाता संख्या 34032829868 (भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ़) में ऑनलाइन भुगतान करना होगा अथवा डिमांड ड्राफ्ट **National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh, payable at Suratgarh** के नाम देय होगा, ई-निविदा के खुलने की तारीख तक फार्म खंजाची के पास जमा करवाना होगा।

नीलामी के लिए उपलब्ध बाग में फलों का विवरण निम्नवत है—

क्र. सं.	बाग का नाम	फलों का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1	किन्नो बाग	किन्नो फल	15.00
2	माल्टा बाग	माल्टा की विभिन्न किस्में	5.0
3	नर्सरी बाग	नर्सरी बाग के आम व अनार	1.0
4	मौसमी बाग	मौसमी फल	5.6
5	अमरुद बाग	अमरुद फल एल-49 एवं इलाहाबादी सफेदा	14.2
6	नींबू बाग	कागजी नींबू	7.4
7	आंवला बाग	आंवला फल	2.4
8	बेल बाग	बेल फल	5.0
		कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर :-	55.60

सफल बोलीदाता की धरोहर राशि तथा प्रतिभूति राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बिना ब्याज के बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी। उच्चतम बोली की 25 फीसदी राशि तुरन्त जमा करवानी होगी तथा सफल बोलीदाता को ठेके की स्वीकृत रकम का 8 फीसदी प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 48 घंटों में जमा करवानी होगी। नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखा जा सकती है।

नोट: -1. इच्छुक ठेकेदार / पार्टी का PAN No. / पेन कार्ड होना अनिवार्य है।

सहायक महा प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल्स कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com, agricsfsrc@gmail.com

File No. CSF-Horti.4 (Orch.Auction) NSC-SRG/2023-24

Date:

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tenders under Two Bid System are invited for awarding fruit contract of Central State Farm, Sardargarh for plucking and sale of fruits situated in an area of 55.60 hactere for a period of one year starting from 01.07.2023 to 30.06.2024. Details of eligibility criteria, tender schedule and other Terms and Conditions can be viewed and downloaded from <https://indiaseeds.eproc.in> & www.indiaseeds.com

Particulars	Details
Date of issue of NIT	31.03.2023
Tender Document Download Start Date/time	From 31.03.2023 – 10:00 AM onwards
Tender Document Download End Date/time	To - 20.04.2023 – upto 1.00 PM
Date and time for submission of online bid	From 31.03.2023 – 10:00 AM onwards To - 20.04.2023 – upto 1.00 PM
Date and time of opening of Technical Bid & Financial Bids in Online mode at C.S.F, Sardargarh.	Technical Bids Opening : At 2.30 PM on 20.04.2023 Financial Bids Opening: Later on after evaluation of Technical Bids.
Tender Fee to be deposited online	Rs.590 (Five Hundred Ninty only)
EMD	EMD : Rs.75,000/- (Rs Seventy Five Thousands Only) to be deposited online by RTGS/NEFT/by portal
Security Deposit (To be deposited by successful bidder after issue of acceptance letter/Work order by means of Demand Draft or Bank Guarantee)	Security Deposit : 8% of fruit value Note: Security money and E.M.D of Rs 75,000 will be reaternd after completion of auction period and successful bidder will have to deposit 25 % of fruit value and 8 % security money of fruit value within two days and balance amount of fruit value as per terms and condition. Demand Draft or Online or Bank Guarantee drawn in favour of National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh.
Address for Communication	Farm Head, Central State Farm, Sardargarh, Shri Ganganagar-335705 (Rajasthan) M-6375124236
Contact Person (with Phone No &E-Mail)	Shri Muralidhar, Assistant General manager (Production), Central State Farm, Sardargarh, Shri Ganganagar-335705 (Rajasthan) Mob : 7014398929. email : csf.sardargarh@indiaseeds.com
This Tender Document contains Two Parts Technical Bid : Terms and Conditions of fruit contract giving details of EMD details, Eligibility criterias for participating in the tenders, Details of documents to be submitted by the tenderer, nature of work to be performed by the fruit contractor. Financial Bid : Financial bid document	

NSC reserves the right to make any alteration/modification in the Tender Document or scrap the tender at any stage without assigning any reason.

Fram Head

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e-tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com, agricsfsrc@gmail.com

दिनांक: -28.03.2023

फार्म में बाग के फलों की नीलामी (1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024) हेतु वर्ष 2023-24 के लिए नियम व शर्तें

।

1. टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण-पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता/निविदादाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) ₹75000/- (रुपये पचहत्तर हजार मात्र) पोर्टल के माध्यम से अथवा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़ के खाता संख्या 34032829868 (भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ़) में ऑनलाइन भुगतान करना होगा अथवा डिमांड ड्राफ्ट **National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh, payable at Suratgarh** के नाम देय होगा, ई-निविदा के खुलने की तारीख तक फार्म खंजाची के पास जमा करवाना होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर बैंक द्वारा लौटा दी जावेगी। बोली स्थल पर कोई अस्त्र-शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। सन्देशस्पद दशा में तलाशी ली जा सकती है।
3. फार्म द्वारा बाग के फलों के ठेके की स्वीकृति सफल बोलीदाता/निविदादाता को जारी होने के 48 घण्टों में ठेके की स्वीकृत रकम का 8 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा करानी होगी।
4. फार्म प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा फार्म को कोई हानि नहीं हुई है तथा ठेका शर्तों के अनुसार संतोषजनक पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। जमा की गई धरोहर व प्रतिभूति राशियों पर फार्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में यह राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली राशि में समायोजित नहीं की जायेगी।
5. अगर सफल बोलीदाता/निविदादाता प्रतिभूति राशि 48 घण्टों में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवायी गयी धरोहर राशि ₹75000/- (रुपये पचहत्तर हजार मात्र) फार्म द्वारा जब्त कर ली जायेगी व ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली/टेण्डर को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें।
7. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न-भिन्न निम्नवत होगी:-

(अ) नीम्बू (बारहमासी व कागजी)	—	31 मार्च, 2024
(ब) अमरुद	—	31 मार्च, 2024
(स) माल्टा, मौसम्बी, जाफा	—	31 दिसम्बर, 2023
(द) किन्नों व आँवला	—	31 जनवरी, 2024
(य) अनार	—	31 दिसम्बर 2023
(र) आम, बेलपत्र, अंजीर	—	30 जून, 2024

ज्यों ही फलों के चुनाव का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रताशीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी।

8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य वांछित कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।
9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को देगा।
10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखड़ना, सूखना, बीमारी/कीड़ों/सूखा/वर्षा/ओला/पाला आदि (प्राकृतिक या अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।
11. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र एवं प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेंगे फार्म के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा पैकिंग दुलाई, आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
12. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुल फल फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जो इस प्रकार होंगे—

(अ) माल्टा, मौसम्बी व किन्नों	—	5 क्विण्टल
(ब) अमरुद	—	4 क्विण्टल
(स) आँवला	—	20 किलोग्राम
(द) नीम्बू	—	50 किलोग्राम

जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।
13. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले में केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।
14. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, पैकिंग, दुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा तथा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चुँगी, नगरपालिका आदि से यदि हो तो फल ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
15. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के सक्षम अधिकारी को जमा की गई धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व अन्य चुकाई गयी किस्तें आदि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना निदेशक महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तान्तरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/को नहीं करेगा।
16. इस सौदे के लिए ₹ 100/- (रुपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के 3 दिनों के अन्दर ही करना होगा।
17. खरीददार फार्म ऐरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास-फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबन्ध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजाँची के पास जमा करानी होगी।
18. नीलामी के पश्चात अगर बोलीदाता समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही देशी से धन राशि जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा कराना होगा। बकाया रकम व ब्याज जमा न करने पर बिना सूचना दिये ठेके को रद्दकर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बचे फल बिना नीलामी बेच सकता है। जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली

जायेगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में कोई हानि फार्म की होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।

19. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोलीदाता की जिम्मेदारी पर की जायेगी। उस हालत में धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि और उस वक्त तक जमा की गयी किस्म राशि व जो भी राशि फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर लिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोलीदाता से वसूली जायेगी।
20. साधारणतया: फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 7:00 बजे से सायँ 5:00 बजे तक होगी। किसी भी भारी वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवा कर गेट पास लेना आवश्यक होगा।
21. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने या अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्ताओं को कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेश करने, बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
23. ठेकेदार या उसका कोई आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष तक के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।

24. **खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्तें :-**

(अ) ठेकेदार को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत बोली मंजूर होने के तुरन्त बाद जमा करवाना होगा। यदि ठेकेदार पूरी राशि तुरन्त जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो बकाया राशि (अधिकतम 5 प्रतिशत) दो कार्यदिवस में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा की जा सकती है। निर्धारित समस्त धनराशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबन्ध किया जायेगा। अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है।

(ब) उच्चतम बोलीदाता को बकाया 75 प्रतिशत धनराशि निश्चित समय-अन्तरालों पर निम्नवत जमा करवानी होगी।

नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित तिथियाँ:-

क. 15% धनराशि दिनांक 15.08.2023 तक बरसाती अमरूद, नींबू एवम अनार की तोड़ाई करने से पूर्व।

ख. 15% धनराशि दिनांक 15.09.2023 तक मौसमी व माल्टा की तोड़ाई शुरू करने से पूर्व।

ग. 20% धनराशि दिनांक 15.10.2023 तक जाड़े/सर्दी के अमरूद फलों की तोड़ाई से पूर्व।

घ. 20% धनराशि दिनांक 15.11.2023 तक किन्नो, ऑवला, व अनार की तोड़ाई से पूर्व।

ङ. 5% धनराशि दिनांक 15.12.2023 तक आम व बेलपत्र की तोड़ाई से पूर्व।

25. किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म, फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया जायेगा।
26. अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़ने से पूर्व रोक दिया जावेगा। साथ ही देरी से धनराशि जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात् भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती है तो ठेके को रद्दकर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेवारी पर कर दी जावेगी।
27. ठेकेदार को अपनी किस्तें समय पर या पूरी राशि जो अनुबन्ध में होगी एक मुश्त ही जमा करानी होंगी। किस्तें टुकड़ों में स्वीकार नहीं की जायेंगी। अगर किस्त समय पर जमा नहीं की जाती है तो दूसरी किस्त का समय आ जाता है तो पिछली किस्त जमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व उस समय तक जमा की गयी सभी राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराशि आती है तो वह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
28. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।
29. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म क्षेत्र में जंगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

30. बोली छूटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर प्रयास पौध संरक्षण फार्म द्वारा किये जावेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान अधिकारी द्वारा किये गये उपायों व प्रयासों के उपरान्त भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों को कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई आर्थिक छुट या राहत नहीं दी जावेगी।
31. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफा आदि देने की पेशकश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है। साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
32. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा या छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निमार्ण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राशि ठेकेदार को फार्म में जमा करवानी होगी।
33. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अर्न्तगत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
34. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार की किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष सह-प्रबन्धक निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक सोल आर्बिटेटर के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेशन एन्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अर्न्तगत कराये। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
35. आर्बिटेशन एन्ड कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक

उपरोक्त ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आवंटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

फोन न0.....

ई-मेल आई.डी.....

बैंक खाते का विवरण

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

COMMERCIAL- BID

**The Farm Head
Central State Farm,
Sardargarh,
Shri ganganagar, Rajasthan.**

Sub: Your open e-tender notice dated ----- for award of Fruit Contract of the farm for the period from 1 st July, 2023 to 30th June, 2024).

Sir,

I/We have carefully gone through all the essential terms & conditions of tender relating to awarding of Fruit contract of Central State Farm, Sradargarh for plucking and sale of fruits from farm orchards situated in an area of 55.60 Ha. for the period from 1 st July, 2023 to 30th June, 2024 .

I declare that I have carefully read the terms & conditions of fruit contract and that I will comply with all the terms and conditions of the contract and offer my/our highest rates for the fruit contract rate are as under:

S.No.	Name of fruits and approximate area in Ha,	Rates for total area (55.60 Ha.)
	Kinnow-----15.00	
	Mosami, Malta-----10.60	
	Kagzi Lime-----7.40	
	Aonla-chakaiya, Banarasi -----2.40	
	Bael-CISH-1 and others-----5.00	
	Guava- A. Safeda, L-49-----14.20	
	Anar and Mango of Nursery area-----1.00	
	TOTAL -----55.60	

I/we agree with all the terms and conditions of fruit contract at Central State Farm Sardargarh, Shri ganganagar (Rajasthan) as laid down by National Seeds Corporation Ltd.

Name, Signature and seal of Authorised Signatories with official stamp

Date :

Place :

TECHNICAL -BID

To
Farm Head,
Central State Farm,
Sardargarh, Shri ganganagar
Rajasthan.

FROM.....

.....
TENDER FORM FOR

Profiles of company / firm/Individual are as under:

1. Particulars of the company / firm / Individual :-

Name of the firm/company/Individual with complete address, contact no. & E-mail address	Type of Firm i.e. proprietorship/partnership/ Pvt. Ltd.company/ society/ Ltd. etc. with its Registration No. (If any)	Names & contact no. of Proprietor/Partners /Directors etc.	Other information if any

Attach the necessary valid documents in support of claim.

2 Registration::

PAN No.	Aadhar No.	Voter ID NO (if available)

3 EMD

Banker's Name	Draft no./UTR	Amount (in Rs.)

4 A self Declaration Certificate that participant is not blacklisted by any office of the NSCL or any other Government Organization. (Enclose Copy).

I hereby certify that all the information mentioned above are true and in case any information is found to be incorrect, my bid may be treated as rejected by NSC management.

Thanking you,
Signature: -----
Place: -----
Name of Authorized Signatory: -----
Date: -----
Address:-----
Phone/Mobile No: - -----

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We.....Proprietor/Partner/Authorize
d signatory of M/S.....
..... do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. My above mention firm / name is not been Black listed/ Delisted/ Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/ Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of fruit Contract awarded to me by Central State Farm, Sardargarh, Shri ganganagar, it comes to knowledge that any information/documents related to fruit contract submitted by me are false then CSF, Sardargarh, Shri ganganagar may take disciplinary action against me as per terms and conditions of the fruit Contact.

Verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: -----
Place: -----
Name of Authorized Signatory: -----
Date: -----
Address:-----
Phone/Mobile No: - -----

Check list of documents required to fulfill the eligibility criterias of
Technical bid of fruit contract

Sl.No	Document	Details and validity period	Remarks
1.	Pan No		
2.	Aadhar card No.		
3.	E.M.D of Rs 75,000/- Transactions details of RTGS/NEFT/BY PORTAL of online deposit of EMD by tender.		
4.	Terms & Conditions of fruit contract duly signed Note : Each page of T & C should be signed by tender		
5.	Undertaking regarding non blacklisting of his firm/Individual.		

Signature with Stamp :

Name :

Address :

Mobile and E Mail ID :